

खारीज
16.12.2024

फर्द अहकाम
(नियम 15)

2024/524

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
विनोद बनाम जयमल आदि

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 368 वर्ष 2024

7.1.2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
30.07.2024	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 30.08.2024 को पेश हो।</p>	
30.8.2024	<p>एकुलाए कबकन उपास्थत/PU माह... पत्रावली... दिनांक...</p>	
7.11.2024	<p>एकुलाए कबकन उपास्थत/PU माह... पत्रावली... दिनांक...</p>	
16.12.2024	<p>वकील वकी ने खारिजा-का मिमल केसी पेश करके पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। वकील वकी ने जिबेकन डिफाडि यह वाद-पत्र आगे नही चलाना चाइहा है। मौजूदा रिफति में खारीज करवाना चाइहा है। यह वाद-पत्र मौजूदा रिफति में खारीज डिफा उरहा है। पत्रावली नम्बर से काम की जाकर काउ वरतीक तकमील उरहा दाखिल रफतुर हो।</p>	<p>शर्जीनामा होने के कारण आगे कोई शर्जीनामा नहीं आइता है। सिनीद कुमा 16/12/2024</p>

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

